

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1043

(03 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा को कम किया जाना

1043. श्रीमती जया बच्चन :

डा० प्रदीप कुमार बालमुचू :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत विधवा पेंशन के लिए आयु को 40 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की योजना बना रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का क्या मत है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि इस योजना के अंतर्गत निःशक्त व्यक्ति भी शामिल किए जाएंगे; और
- (घ) देश में 40 वर्ष से अधिक आयु वाली विधवा पेंशनरों की संख्या क्या है और कितने अतिरिक्त पेंशनरों के शामिल किए जाने की संभावना है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री लालचंद कटारिया)

(क) और (ख) : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना(आईजीएनडब्ल्यूपीएस), जो कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का एक घटक है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवार से संबंधित 40-79 आयु वर्ग की विधवाओं पर लागू है। एनएसएपी की योजनाओं के लाभ प्रदान करने के मानदंडों संबंधी समिति ने आईजीएनडब्ल्यूपीएस के अंतर्गत न्यूनतम आयु सीमा को 40 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने की सिफारिश की है।

(ग) : 18-79 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर और विविध अपंगता वाले बीपीएल व्यक्तियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के अंतर्गत कवर किया जाता है।

(घ) : राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत कवर 36 लाख विधवाएं कवर की गई हैं। यदि पात्रता आयु को 40 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है तो इस योजना में शामिल की जाने वाली अतिरिक्त लाभार्थियों की संभावित संख्या 9.25 लाख है।
